

## छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

एचडीएफसी एगो जनरल इश्योरेंस कंपनी को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जिलों **धमतरी, कोरिया, सुकमा, बालोद, और महासमुंद**, में ऋणी एवं गैर – ऋणी किसानों के लिए **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)** लागू करने के लिए, खरीफ 2018 के लिए अधिकृत किया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना के तहत अधिसूचित निम्नलिखित फसलों के लिए इन जिलों में योजना लागू की गयी है :

- **धमतरी** - धान ( सिंचित एवं असिंचित), मक्का, सोयाबीन, मूंग, उड़द, मूंगफली, अरहर
- **कोरिया** - धान ( सिंचित एवं असिंचित), मक्का, सोयाबीन, मूंग, उड़द, मूंगफली, अरहर
- **सुकमा** - धान ( सिंचित एवं असिंचित), मक्का, सोयाबीन, मूंग, उड़द, मूंगफली, अरहर
- **बालोद** - धान ( सिंचित एवं असिंचित), मक्का, सोयाबीन, मूंग, उड़द, मूंगफली, अरहर
- **महासमुंद** - धान ( सिंचित एवं असिंचित), मक्का, सोयाबीन, मूंग, उड़द, मूंगफली, अरहर

### **योजना अवलोकन :**

पीएमएफबीवाई योजना सूखा, बाढ़, लम्बी सूखा अवधि, भूस्खलन, चक्रवात, तूफान, कीट और बीमारियों जैसे कई बाहरी जोखिमों से उत्पन्न होने वाली फसल पैदावार में किसी भी नुकसान के खिलाफ किसानों को बीमा आच्छादन प्रदान करती है। उपज में नुकसान का निर्धारण करने के उद्देश्य से राज्य सरकार इस योजना के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों पर कटाई प्रयोग (सीसीई) की प्रक्रिया का संचालन करेगी। यदि सीसीई के आधार पर उपज के आंकड़ों में कमी होती है, तो किसानों को उनकी उपज में कमी के दावों का भुगतान किया जायेगा।

यह योजना, फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा आच्छादन प्रदान करती है जिसमें बुवाई के पूर्व से फसल की कटाई तक और फसल कटाई के बाद जोखिम शामिल है। पीएमएफबीवाई योजना के तहत सभी उत्पादों को कृषि विभाग छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। **धमतरी, कोरिया, सुकमा, बालोद और महासमुंद** जिलों के किसान अपनी संबंधित बैंको/ जानसेवाकेंद्रों/ (CSC) या एचडीएफसी एगो के अधिकृत एजेंटों से संपर्क करके ऊपर सूचीबद्ध फसलों के लिए पीएमएफबीवाई योजना के तहत बीमा आच्छादन प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के लिए बीमा आच्छादन प्राप्त करने के लिए वैधता अवधिका विवरण कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

## योजना की विशेषताएं :

फल के चरण और फसल नुकसान के लिए होने वाले जोखिमों को इस योजना के तहत आच्छादित किया जाता है।

**अ) बाधित / निष्फल बुवाई :** कम वर्षा या प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के कारण बीमाकृत क्षेत्र में बुवाई नहीं होने की स्थिति में।

**ब ) खड़ी फसल ( बुवाई से फसल कटाई ):** गैर-रोक थाम वाले जोखिमों के कारण उपज हानि को आच्छादित करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है , जैसे: सूखा अवधि, बाढ़, जलभराव, कीट और रोग, भूस्खलन, प्राकृतिक आग और बिजली का गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, बवंडर, आंधी, और समुद्री तूफान।

**स) फसल कटाई उपरांत नुकसान:** आच्छादन, फसलों के लिए कटाई से केवल दो सप्ताह तक उपलब्ध है, जो चक्रवात, चक्रवाती बारिश और असामयिक बारिश के विशिष्ट खतरों के खिलाफ कटाई के उपरांत सूखने के लिए खेत में फैला कर छोड़ी गयी हो, की स्थिति ही मान्य है।

**द ) स्थानीय आपदाएं :** अधिसूचित क्षेत्र के आंशिक कृषि भूमि क्षेत्र में ओलावृष्टि, भूस्खलन, एवं जलभराव के द्वारा पृथक रूप से होने वाली हानि/क्षति।

इस योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने और किसानों तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित पहलों के माध्यम से हमारी कंपनी द्वारा व्यापक विपणन प्रयास आयोजित किये गए :

- प्रेस विज्ञप्ति देखें
- प्रेस विज्ञापन देखें
- योजना जागरूकता के लिए आयोजित हमारे प्रयासों और व्यापक विपणन गतिविधियों को देखें

**योजना एवं अधिसूचित फसलों के प्रीमियम विवरण के बारे में अधिक जानकारी के लिए ग्राहक सूचना पत्र देखें :**

1. ग्राहक सूचना पत्र डाउनलोड करें
2. प्रस्ताव पत्र डाउनलोड करें
3. राज्यस्तरीय जिला समन्वयक



राज्य	अधिसूचित जिला	संपर्क व्यक्ति	संपर्कका पता	संपर्क
छत्तीसगढ़	महासमुंद	प्रकाश भार्गव	इंद्रा मार्किट, शॉपन 0 38, महासमुंद बस स्टैंड के पास, महासमुंद छत्तीसगढ़ - 493445	7408392333
छत्तीसगढ़	कोरिया	प्रकाश भार्गव	वार्डन 11, कचहरीपारा, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास, बैकुंठपुर, छत्तीसगढ़ - 497335	7408392333
छत्तीसगढ़	धमतरी	अजीत सिंह	द्वितीय तल, मनीष प्लाजा, धमतरी बस स्टैंड के पास, धमतरी छत्तीसगढ़ - 493773	8871747803
छत्तीसगढ़	बालोद	सुसांता भुयान	ग्राउंड फ्लोर, सिन्हा काम्प्लेक्स, कलेक्टर भान मार्ग, झलमला, डिस्ट्रिक्ट बालोद, छत्तीसगढ़ - 491227	7381044787
छत्तीसगढ़	सुकमा	रश्मि बिहारी	तृतीय तल, चावला काम्प्लेक्स, देवेंदर नगर रोड, साई नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492001	7381044059

उच्चस्तरीय :

प्रबंधक	रायपुर	सुसांता भुयान	तृतीय तल, चावला काम्प्लेक्स, देवेंदर नगर रोड, साई नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492001	7381044787
क्षेत्रीयप्रबंधक	छत्तीसगढ़	उमेश सोनी	द्वितीय तल, वी एन वी प्लाजा, बिल्डिंग न० 6, एम पी नगर, जोन न० 2, भोपाल - 462001	9893473192

दावों की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए:

1. दावा प्रक्रिया डाउनलोड करें
2. दावा फॉर्म डाउन लोड करें
3. किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे समर्पित कॉल सेंटर @ 1800 266 0700 अथवा ऊपर दिए गए राज्यस्तरीय जिला समन्वयक से संपर्क करें।